07/2/25 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप./प्रार्थीगण पक्ष आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2020/00226

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:– 87/2020 जीसीएमएस–2020/00226 दायरा दिंनाक 31.8.2020

रेणुबाला पुत्री मनीराम पत्नी सुग्रीव कुमार जाति बिश्नोई निवासी 30 के एस डी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थीया

बनाम

1. मनीराम पुत्र गोरधन जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ।
2. साहबराम पुत्र गोरधन (फौत)
   2/1 कष्णा पत्नी साहबराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ।
3. कलावती पत्नी धर्मपाल पुत्री गोरधन जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ।
4. माती पत्नी प्रमोद कुमार पिता गोरधन जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ।
5. सुमन पत्नी विष्णु पिता गोरधन जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ।
6. गुडी पुत्री गोरधन (फौत) जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ।
   6/1 अमरसिंह } पुत्र व पुत्री गुडी देवी जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ
   6/2 सुमन } तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. उप पजीयंक सूरतगढ।
8. तहसील राजस्व सूरतगढ भूमि धारक पैरोकार राज।

अप्रार्थीगण

उपस्थित–

1. श्री राजवीर भादु अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक अप्रार्थी 1–2/1
3. श्री तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

निर्णय

दिंनाक:– 07.02.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:04 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली निर्णय के लिए प्रस्तुत है। उभयपक्ष के विद्वावान अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त में तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने इस अदालत में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बधित एक वादपत्र अप्रार्थी न0 1 को बतौर प्रतिवादी स0 1 को पक्षकार बनाते हुये घोषणात्मक वादपत्र धारा 88,188,209 आरटीए के तहत प्रस्तुत कर हको की घोषणा चाही गई है व वादपत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया के दादा गोरधन पुत्र साजन के नाम चक 25 एल जी डब्लयु बी के खाता स0 10/19 के प0 न0 53/295 मु0 न0 5 के किला न0

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

14 ता 19/1.265 है0, 22 ता 25/1.012 है0 कुल 2.403 है0 नहरी खातेदारी चक 25 एल जी डब्लयु ए के खाता स0 30/20 के प0 न0 52/294 मु0 43 के किला न0 5–6–15–16–24–25 कुल 1.518 है0 मय गैर मु0 रास्ता खाला प0 न0 51/294 मु0 न0 44 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22 कुल 3.251 है0 नहरी मय खाल कुल 4.769 है0 नहरी मय गैर मु0 रास्ता खाला खातेदारी भुमि 4.544 है0 मे 1.038 है0 खातेदारी भुमि चक 23 एस टी बी तहसील सूरतगढ के खाता स0 82/81 के प0 न0 58/297 मु0 8 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 अ0क0 खातेदारी भुमि मे 3.162 है0 मे 1/2 हिस्सा अर्थात 1.581 है0 खातेदारी भुमि तथा चक 23 एस टी बी तहसील सूरतगढ के खाता स0 80/76 के प0 न0 58/299 मु0 20 के किला न0 1 ता 25 /6.325 है0 अ0 क0 खातेदारी भुमि 3.163 है0 मे 1/2 हिस्सा अर्थात 1.582 है0 खातेदारी भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीया के दादा गोरधन पुत्र साजनराम के नाम चारो खातो मे कुल 7.155 है0 खातेदारी भुमि दर्ज है। प्रार्थीया के दादा–दादी व चाचा रामकुमार का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थी न0 1 ता 6 को यह रकबा विरास्तन प्राप्त हुआ है तथा प्रार्थीया के चाचा व अप्रार्थी न0 1 का भाई रामकुमार अविवाहित स्वर्गवास हो गये थे। इस प्रकार पैतृक भुमि मे अप्रार्थी न0 1 का 1/6 हक हिस्सा बनता है जो सहदायी सम्पति होने के कारण प्रार्थीया का जन्मसिद्व अधिकार कानुनी रूप से प्राप्त हो गये है जिसका हक घोषित करवाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया हुआ है। अप्रार्थी न0 1 के नाम आई पैतृक सम्पति मे उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अप्रार्थी न0 1 का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.596 है0 भुमि प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थीया अप्रार्थी न0 1 की पुत्री है व अपने पिता को प्रार्थीया के दादा से आई भुमि पैतृक है जिसमे प्रार्थीया का हक व हिस्सा है। इस प्रकार अप्रार्थी न0 1 को 7.155 है0 भुमि मे 1/6 हिस्सा अर्थात 1.1925 है0 भुमि विरास्तन प्राप्त होने के कारण प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.596 है0 बनता है। इन हको की घोषणा वादपत्र मे होगी जो अभी अदालत मे विचाराधीन है। वाद के निर्णय से पूर्व ही अप्रार्थी जैरवाद भुमि को रहन बैय द्वारा हस्तान्तरण करने मे सफल हो गया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए गोरधन से जो भुमि विरास्तन आई है वह 1/6 भुमि अर्थात 1.1925 है0 खातेदारी को वाद के निर्णय तक रहन बैय नही करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

प्रा0 पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये व प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनकर दिंनाक 31.8.2020 को एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि अप्रार्थी स0 1 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि आगामी ता0 पेशी तक 25 एल जी डब्लयु बी के खाता स0 [illegible] की 2.403 है0, 25 एल जी डब्लयु ए के खाता स0 30/20 की 4.[illegible] है0 [illegible] रास्ता मे 1.090 है0 भुमि व चक 23 एस टी बी के खाता [illegible] है0 मे 1/2 हिस्सा अर्थात 1.581 है0 अ0 क0 तथा इसी चक के खाता स0 80/76 की 6.325 है0 अ0क0 खातेदारी भुमि 3.163 है0 मे [illegible] हिस्सा अर्थात 1.582 है0 इस प्रकार चारो खातो की 6.656 है0 खातेदारी भुमि मे अप्रार्थी न0 1 का 1/6 हिस्सा अर्थात 1.109 है0 भुमि को रहन बैय ना करे मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थीया द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर दिंनाक 4.2.2022 को अप्रार्थी न0 4–5–6/1, 6/2 के नाम तर्क कर दिये गये व अप्रार्थी न0 3 व 7 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थी एक व 2/2 की तरफ से दिंनाक 27.3.2022 को 212 आर टी ए के प्रा0 पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निदेवन किया कि अप्रार्थी न0 1 के हक मे जो हिस्सा बताया गया है वह सारी भुमि पैतृक नही है कुछ भुमि स्वअर्जित है उसमे प्रतिवादी न0 1 के जीवनकाल मे प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही बनता है।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई योग्य अधिवक्ताओ ने अपनी बहस मे प्रा0 पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुये निवेदन किया कि जैर प्रकरण भुमि अप्रार्थी न0 1 के पिता गोरधन पुत्र साजन के नाम से सयुंक्त खाते मे है गोरधन जो अप्रार्थी न0 1 का पिता व प्रार्थीया का दादा है का स्वर्गवास दिंनाक 25.7.2013 को हो चुका है परन्तु उनके जायज वरिसो के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही हुआ है हिस्सा की घोषणा बाबत वादपत्र इसी अदालत मे विचाराधीन है। प्रार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने काश्तकारी अधिनियम व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम का हवाला देते हुये बहस की गयी कि विरास्तन भुमि मे काश्तकार के जीवनकाल मे ही उसके पुत्र व पुत्री का कानुनी हको के अधिकारी हो जाते है। इसलिए वादपत्र के निर्णय तक अप्रार्थी न0 1 प्रार्थीया के हिस्सा तक की भुमि को रहन बैय आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे इसलिए प्रार्थीया का प्रा0 प0 212 आरटीए स्वीकार किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

अप्रार्थी न0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस मे जवाब प्रा0 पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुये बहस करते हुये कानुनी आपति की कि जैर प्रकरण भुमि स्व0 गोरधन के नाम से ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जबतक अप्रार्थी न0 1 के नाम कोई भुमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है तो काल्पनिक हिस्सा के आधार पर स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती मृतक खातेदार गोरधन के कितने वारिस प्रथम श्रेणी के हकदार है व अप्रार्थी न0 1 मनीराम को गोरधन की भुमि मे से कितनी भुमि हिस्सा मे आती है व वह आनेवाला हिस्सा पैतृक है या नही इस कानुनी बिन्दु का निर्णय अभी होना शेष है उससे पूर्व ही किसी काश्तकार के नाम भुमि नही होते हुये उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कतई कानुन समत नही होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अप्रार्थी एक के योग्य अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीया के प्रा0 पत्र के पैरा स0 2 मे गोरधन के जायज वारिसों के जो नाम दिये है वो सात है। प्रार्थीया अपने पिता के नाम आने वाले सम्भावित हिस्सा को पैतृक भुमि मानती है तो जो 1/7–1/7 हिस्सा सभी सातो वारिसो को प्राप्त हुआ है उसमे अप्रार्थी न0 1 मनीराम को भी गोरधन के नाम की भुमि मे 1/7 हिस्सा मे से जितना हिस्सा अप्रार्थी न0 1 को आयेगा वह अप्रार्थी न0 1 की स्वय अर्जित भुमि का हिस्सा [illegible] के अप्रार्थी न0 1 के जीवनलकाल मे उसकी पुत्री प्रार्थीया का कोई हक [illegible] नही होगा इस विषय पर अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने [illegible] भुमि कौनसी होगी बाबत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मे पैतृक भुमि बाबत कानुनी दृष्टांत भी प्रस्तुत किये व निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रा0 पत्र आधारहीन व गैर कानुनी होने से निरस्त किया जावे व पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी व सम्बधित कानुनी बिन्दुओ का अध्ययन व मनन किया गया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। यह कानुनी बिन्दु दोनो पक्ष स्वीकार करते है कि जैर प्रकरण भुमि अभी अप्रार्थी न0 1 के पिता गोरधन पुत्र साजन के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है यह तथ्य भी दोनो पक्ष स्वीकार करते है कि गोरधन का स्वर्गवास हो गया है व प्रार्थीया स्वंय गोरधन के सात जायज वारिस होना प्रा0 पत्र के पैरा स0 2 मे दर्ज किये है व जब तक विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही हो जाता तब तक यह भी निश्चित नही है कि गोरधन ने जैर प्रकरण भुमि मे से अपने हिस्सा को किसी प्रकार से वसीयत दान/बैयनामा से हस्तातरित तो नही किया है। यह कानुनी बिन्दु भी स्वीकार्य हे कि जैर प्रकरण भुमि मे अप्रार्थी न0 1 के हिस्से मे जितनी भुमि आयेगी उसमे कितना हिस्सा पैतृक भुमि का होगा व कितनी भुमि अपने भाई बहन से आयेगी वो भुमि पैतृक भुमि की परिभाषा मे आयेगी या स्व अर्जित भुमि मानी जायेगी मे कानुनी बिन्दु अभी वादपत्र मे तय होगे। परन्तु प्रार्थीया स्वयं गोरधन के सात जायज वारिस अपने प्रा0 पत्र मे दर्ज कर रही है से साबित है कि गोरधन के अप्रार्थी स0 1 सहित सात वारिस होने से अप्रार्थी न0 1 को गोरधन के नाम से चारो चको मे जितनी भुमि है उसमे अप्राथी स0 1 का 1/7 वां हिस्सा सम्भावित रूप से बनता है व उसमे 1/2 हिस्सा प्रार्थीया मांग रही है। प्रार्थीया का प्रा0 पत्र आशिक स्वीकार किया जाकर इस अदालत द्वारा एक पक्षीय जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिंनाक 31.8.2020 निरस्त कर आदेश पारित किया जाता है कि अप्रार्थी न0 1 वाद के निर्णय तक चक 25 एल जी डब्लयु की जमाबन्दी सवंत 2074 ता 77 के खाता स0 14/10 के प0 न0 53/295 मु0 5 के किला न0 14/2 ता 19 22 ता 25 की 2.403 है0 नहरी भुमि मे अप्रार्थी न0 1 के 1/7 वां हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.1720 है0 व चक 25 एल जी डब्लयु ए की जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता स0 18/30 के प0 न0 51/294 मु0 44 व प0 न0 52/294 मु0 43 दोनो पत्थरो की 4.544 है0 नहरी मे गोरधन का 1090/4769 अर्थात 1.038 है0 मे अप्रार्थी न0 1 मनीराम का 1/7 वां हिस्सा 0.1482 है0 मे 1/2 हिस्सा व चक 23 एस टी बी की जमाबन्दी सवंत 2075 ता 78 के खाता स0 105/82 के प0 न0 58/297 मु0 8 की अप्रार्थी न0 1 मनीराम के नाम दर्ज 24/575 मे से 1/2 हिस्सा व इसी चक के खाता स0 166/80 के प0 न0 58/299 मु0 20 मे अप्रार्थी न0 1 मनीराम के नाम दर्ज 24/575 मे से 1/2 हिस्सा की भुमि को वाद के निर्णय तक रहन व बेचान नही करे। निर्णय आज दिंनाक 07/2/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसला सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ
जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ